15
अध्याय

सतर्कता

वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

सतर्कता

- मंत्रालय का सतर्कता प्रभाग सार्वजनिक क्षेत्र के अपने उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी निकायों में सतर्कता प्रशासन की निगरानी करता है और साथ ही लिपिकवर्गीय कर्मचारियों से संबंधित सतर्कता मुद्दों के मामले में कार्रवाई करता है। इसमें अध्यक्ष संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के सतर्कता स्कंध और साथ ही एनएलसी की अध्यक्षता पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों से संबंधित सतर्कता मुद्दों पर मंत्रालय द्वारा तथा निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के मामले में संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है।

- सतर्कता जागरुकता सप्ताह में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष: प्रौद्योगिकी की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सप्ताह का आयोजन 27.10.2014 से 01.11.2014 तक किया गया था। इस सप्ताह के दौरान कार्यशालओं, वाद–विवाद, निबंध प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया था ताकि सतर्कता मुद्दों के संबंध में जागरूकता लाई जा सके। सभी संगठनों के सतर्कता प्रभागों ने आईपीआर की ऑनलाइन प्रस्तुति तथा अधिकारियों को संवेदनशील पदों से असंवेदनशील पदों पर स्थानांतरित करने के मामले में सक्रिय भागीदारी की। इस अवधि के दौरान एनसीएल तथा एनएलसी को सार्वजनिक उद्यम संस्थान, हैदराबाद द्वारा सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया।

- वर्ष 2014–15 के दौरान मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया तथा सतर्कता मामलों से संबंधित लंबित मामलों, सूचना प्रौद्योगिकी पहल आदि के कार्यान्वयन के मुद्दों की समीक्षा की गई।

- जीपीएस/जीपीआरएस के आधार पर ऐसी वाहन–खोज प्रणाली की परिकल्पना की गई है जो व्यापक एरिया नेटवर्क से संबद्ध हो तथा धर्मकोटा, सामग्री भंडार, प्रवेश/निकास स्थल, स्टाक चार्ड साईडिंग्स, विस्फोट मैगजीन आदि जैसे अति संवेदनशील स्थलों को जोड़ता हो। सार्वजनिक उपक्रमों में इस प्रणाली का कार्यान्वयन निम्नलिकित उद्देश्यों से किया जा रहा है।

  - चोरी एवं सामान गायब होने की घटनाओं पर रोक के लिए इलेक्ट्रानिक निगरानी
  - उत्पादन, प्रेषण, भंडारण आदि के वास्तविक समय पर आधारित आंकड़ो रखना ताकि प्रचालन दक्षता में सुधार हो।

कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संगठनों में की गई सतर्कता कार्रवाई निम्नवत है:

क्र.सं.	सहायक कंपनी का नाम	सतर्कता विषयक उपलब्धियां
1.	एनसीएल	• वास्तविक समय के आधार पर डाटा संग्रहण • एससीएल की सभी परियोजनाओं में धर्मकांटा • कार्यपालकों/गैर–कार्यपालकों के लिए 23 जागरूकता प्रशिक्षण पाठ्क्रमों का आयोजन • 71 औचक निरीक्षण • मार्च 2015 से प्रचालक रहित ट्रक प्रेषण प्रणाली (ओआईटीडीएस) शुरू हो जाने की आशा है। • ऑनलाइन फाइल खोज प्रणाली, ऑनलाइन बिल खोज प्रणाली लागू कर दी गई है। • दो चरणों में कोलनेट कार्यान्वयन किया गया है।

क्र.सं.	सहायक कंपनी का नाम	सतर्कता विषयक उपलब्धियां
2.	बीसीसीएल	• निवारक सतर्कता के अंतर्गत 6 परिपत्र/दिशा–निर्देश जारी • ऑनलाइन बजट निगरानी प्रणाली प्रारंभ • 19 औचक जांच/परीक्षण जांच किए गए तथा और आगे जांच हेतु 4 नियमित मामले दर्ज किए गए • निगरानी तथा अभिज्ञान के अंतर्गत 12 गहन जांच की गई। • अन्वेषण हेतु 15 नियमित मामले दर्ज किए गए तथा 22 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, 5 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया। • सीबीआई ने पांच मामले दर्ज किए
3.	एमसीएल	• सतर्कता प्रबंधन का एक अनिवार्य संघटक है। • अनेक प्रकार की ई–पहल, यथा कोलनेट, ईएमडी की स्वतः वापसी, आरएफआईडी में सचल धर्मकांटा, कोयला भंडार मापन हेतु सरपैक साफ्टवेयर, अति संवेदनशील क्षेत्रों में आन–लाइन ट्रक प्रेषण प्रणाली लागू • 29 औचक निरीक्षण किए गए तथा 6 सतर्कता मामले दर्ज किए गए। • 145 अधिकारियों/कर्मचारियों को संवेदनशील पदों से असंवेदनशील पदों पर तथा इसके विपरीत स्थानांतरित किया गया।
4.	ईसीएल	• 29 औचक निरीक्षण किए गए। • दर्ज मामलों में गहन कार्रवाई तथा प्रणाली सुधार पर जोर • सभी स्टेकधारकों के लिए 8 सतर्कता/प्रेरणा कार्यक्रम आयोजित • राजमहल को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कार्य एवं सेवाओं के लिए ई–निविदा का कार्यान्वयन • ई–निविदा के पूरा होने की औसत अवधि घटाकर 23 दिन
5.	डब्ल्यूसीएल	• शिकायत निवारण की आनलाइन प्रणाली पूरी तरह से चालू • ई–निविदा तथा ई–प्रापण पूरी तरह से कार्यान्वित • विभिन्न क्षेत्रों में हितधारकों का सम्मेलन • परिवर्तन नामक पत्रिका, जो अक्तूबर, 2014 तक के परिपत्रों का संग्रह है, का संकलन करके विमोचन किया गया। • 8 सतर्कता जागरूकता तथा व्यक्तित्व–विकास कार्यशालाओं का आयोजन • 26 आरडीए मामलों में विभागीय कार्रवाई • सीबीआई द्वारा 2 मामले दर्ज • 6 मामलों में 9 कर्मचारियों को बड़ी शास्ति तथा 13 मामलों में 15 कर्मचारियों को छोटी शास्ति • 22 औचक निरीक्षण • 506 कर्मचारियों का संवेदनशील पदों से स्थानांतरण
6.	एसईसीएल	• 71 शिकायतों में से 31 निपटारा तथा 27 विभागीय जांच पूर्ण • 35 विभागीय जांचों में 18 पूर्ण • 4 मामलों में 5 कर्मचारियों पर बड़ी शास्ति तथा 7 मामलों में 7 कर्मचारियों को छोटी शास्ति • 519 कार्यपालकों तथा 993 गैर–कार्यपालकों का स्थानांतरण/चक्रण • 270 वाहनों में जीपीएस आधारित वाहन–खोज प्रणाली लागू • 118 इलेक्ट्रानिक धर्मकांटा चालू • 17 औचक निरीक्षण • अनधिकृत कब्जा वाले 5909 मकानों को खाली करने की कार्रवाई

क्र.सं.	सहायक कंपनी का नाम	सतर्कता विषयक उपलब्धियां
7.	सीसीएल	• सिविल एवं खरीद संविदाओं में सामान्य अनियमिताएं तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नैतिकता तथा मूल्यों की भूमिका पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। • 245 कार्यपालकों/ गैर–कार्यपालकों का संवेदनशील पदों से असंवेदनशील पदों पर स्थानांतरण • डब्ल्यू एएन के जरिए क्षेत्रीय भण्डारों तथा केंद्रीय भण्डारों को आपस में जोड़ना तथा ईएमडी की वापसी ई–भुगतान के जरिए • 10 नियमित अन्वेषण तथा 15 औचक निरीक्षण • 9 मामलों में 12 लोगों को बड़ी शास्ति तथा 12 मामलों में 16 कर्मचारियों को छोटी शास्ति • कोलनेट माड्यूल्स/डब्ल्यूएएन संस्थानों, एकीकृत जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन–खोज प्रणाली तथा आरआईएफडी, सीसीएल के संपूर्ण परिवार में सीसीटीवी संस्थान के साथ–साथ धर्मकांटा • सभी परिवहन ठेकों में ई–निविदा माध्यम से रिवर्स निलामी • 315 मामलों में व्युत्क्रम बोली • ई–प्रापण के जरिए 667 मामलों में प्रापण
8.	एनएलसी	• एनएलसी इंट्रानेट के जरिए शिकायत खोज प्रणाली • विक्रेता भुगतान के लिए बिल निगरानी प्रणाली तथा नित्य अद्यतनीकरण • ऑनलाइन सतर्कता प्रणाली प्रारंभ • खानों में सरपेक स्वचलन लागू ताकि ओवी तथा लिग्नाइट के उत्पादन के मानवीय मापन से बचा जा सके। • नेवेली तथा वारसीनगर परियोजनाओं में निगरानी कैमरा रणनीतिक स्थानों पर लगाए गए। • 135 औचक निरीक्षण तथा 325 शिकायतों की जांच • 'ह्वाट्स एप' संदेशवाहक की शुरूआत ताकि प्रेषक/सचेतक शिकायत दर्ज कर सकें
9.	सीएमपीएफओ	• 13 विभागीय जांच शुरू की गई • 2 मामलों में बड़ी शास्ति लगाई गई • सीएमपीओ के मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद सृजित
9.	सीएमपीआई	• जांच सुनिश्चित करने के लिए साफ्टवेयर तैयारी में सुधार, आउटसोर्सिंग/ड्रिलिंग के डाटा की आनलाइन रिपोर्टिंग • सभी संविदाओं का ई–प्रापण • एकीकृत कोयल संसाधन सूचना प्रणाली परियोजनाओं का अध्ययन तथा निविदायन आदि